



2011 पत्रांक बि0प्र0सु0मि0सो0/विविधि-45/2010 सो. १९७... दिनांक... १६/११/२०११

सेवा में

CONFIDENTIAL SECTION

सभी जिला पदाधिकारी

विषय:- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन के संबंध में कहना है कि:-

1. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत निष्पादित आवेदनों को डाटाबेस में अपलोड कर प्रतिदिन अचूक रूप से मिशन के सर्वर पर Synchronize किया जाना है। प्रखण्ड स्तर पर इसका सम्पूर्ण दायित्व आई.टी. सहायक एवं नाम निर्दिष्ट लोक सेवक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगा। सभी आई.टी. प्रबंधक/ नोडल पदाधिकारी प्रतिदिन इसका प्रगति प्रतिवेदन ई-मेल से मिशन कार्यालय को भेजेंगे।
2. ध्रमण के क्रम में पाया गया कि अभी भी कई प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालयों में Preprinted Certificate आवेदन के साथ लिया जा रहा है जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की कार्रवाई की जाए।
3. आवेदकों से आवेदन के साथ क्षेत्रीय कर्मचारियों का जांच प्रतिवेदन कर मांग की जाती है, जो पूर्णतः अनुचित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व नाम निर्दिष्ट लोक सेवक का है।

अतः इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए एवं इस प्रकार के आवेदन जिस पर पूर्व से क्षेत्रीय कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंकित है, उसे काउन्टर पर किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाए। इससे कार्य अपसंस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। इसे रोकने का पूर्ण दायित्व नामनिर्दिष्ट लोक सेवक का है। इसके साथ ही प्राप्त, निष्पादित तथा लंबित आवेदनों की अद्यतन स्थिति तथा सेवा से संबंधित आवश्यक कागजातों आदि की सूचना सूचना-पट्ट पर निश्चित रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए।



4. अंचल कार्यालयों द्वारा निर्गत किये जाने वाले जाति/ आय/ आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था को शीघ्र ही ऑनलाईन किया जाना है। इस हेतु इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन डाउनलोड करने एवं उस पर अग्रोतर कार्रवाई करने हेतु किसी एक कर्मी को विशेष रूप से नामित करते हुए उनका नाम, पदनाम तथा मोबाईल नंबर मिशन कार्यालय को पत्र दिनों के अन्दर उपलब्ध करायी जाए।

विश्वविद्यालय

*Rajendra*  
13.11.2011  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मिशन निदेशक